न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) सीधी, जिला—सीधी (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारीः—अनिरूद्ध कुमार उचाड़िया)

फाईलिंग नं0 आर.सी.एस. ए. / 910 / 2019
सी.एन. आर. नं. MP5301003565/2019
संस्थित दिनांक 25 / 09 / 2019

01. जियनुआ उर्फ गेपनुआ उर्फ गेनुआ, माता गंगी पिता लखपति यादव उम्र—66 वर्ष,
02. सुखई यादव माता गंगी यादव पिता लखपति यादव उम्र—63 वर्ष,
03. राजकरण यादव माता गंगी यादव पिता लखपति यादव उम्र—60 वर्ष,
04. राजभान यादव माता गंगी यादव पिता लखपति यादव उम्र—57 वर्ष,
05. संखरजुआ यादव माता गंगी यादव पिता लखपति यादव उम्र—50 वर्ष,
06. तिरथुआ यादव माता गंगी यादव पिता लखपति यादव उम्र—48 वर्ष,
07. निरमउआ यादव माता गंगी यादव पिता लखपति यादव उम्र—46 वर्ष,
08. सक्ती यादव माता गंगी यादव पिता लखपति यादव उम्र—40 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम महराजपुर, तहसील— गोपदबनास, जिला सीधी म.प्र.

..................**वादीगण**

:— विरुद्ध :—

01. नारायण यादव माता गंगी यादव पिता लखपति यादव उम्र—68 वर्ष,
निवासी ग्राम— महराजपुर, तहसील— गोपदबनास, जिला सीधी म.प्र.
02. अरूण प्रताप सिंह तनय जगजीवन सिंह चौहान,
निवासी— जमोड़ी खुर्द वार्ड नं. 8 पोस्ट—पनवार, थाना—जमोड़ी, तहसील गोपदबनास जिला सीधी म.प्र.
03. कृष्णपाल सिंह पिता कैलाश सिंह चौहान उम्र—42 वर्ष,

04. अजीत कुमार रजक तनय दधिवल रजक उम्र–42 वर्ष,
05. रामऔतार यादव तनय रोहतम यादव उम्र–62 वर्ष,
06. राममिलन यादव तनय रोहतम यादव उम्र–58 वर्ष,
07. बच्चू यादव तनय रोहतम यादव उम्र–56 वर्ष,
08. निच्चू यादव तनय रोहतम यादव उम्र–50 वर्ष,
क्रमांक 03 से 08 निवासी– ग्राम पनवार चौहानन टोला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म.प्र.
09. जुलवा पत्नी गल्लू (मृतक) पुत्र गोलर यादव,
निवासी– हटवा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म.प्र.
10. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर सीधी, जिला सीधी, म.प्र.

.........**प्रतिवादीगण**

वादीगण द्वारा	:	श्री सी.पी. उपाध्याय अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र.–01	:	स्वतः।
प्रतिवादी क्र. 2 से 4 द्वारा	:	श्री महीप शुक्ला अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रं. 5 से 8 द्वारा	:	श्री लक्ष्मण तिवारी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रं. 10	:	एकपक्षीय।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 27.09.2024 को पारित)

01. इस आदेश द्वारा वादी के आवेदन अंतर्गत आदेश–39 नियम–1 व 2 एवं सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 25.09.2019 का निराकरण किया जा रहा है।

02. वादीगण/आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन सारतः यह है कि ग्राम पनवार चौहानन टोला की भूमि खसरा क्रमांक 1150/1 रकवा 0.700 हे व 1153/1 रकवा 1.166 हे. किता–02 योग रकवा 1.866 है. वादीगण की माता गंगी यादव एवं उसके भाईयों एवं बहनों के सहस्वामित्व की भूमियां रही है। जिसमें आवेदकगण न अनावेदक क्रमांक 01 अपनी माता गंगी यादव के साथ काबिज, काश्त रहे। गंगी यादव की मृत्यु के पश्चात अनावेदक क्रमांक 01 विरासत में प्राप्त कर काबिज काश्त रहे। अनावेदक क्रमांक 01 ने हल्का पटवारी को प्रभाव में लेकर आवेदकगण की गौर जानकारी में अपने नाम दर्ज करवा लिया और गंगी का एक मात्र वारिश बन गया है।

03. आवेदकगणों को उक्त फर्जी आदेश व कार्यवाही की जानकारी होने पर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया था स्थगन भी प्राप्त किया तब अनावेदक ने उक्त स्थगन आदेश दिनांक 05.08.2019 की अवहेलना करते हुये दिनांक 06.08.2019 को अनावेदक क्रमांक 02, 03, 04 के पक्ष में विक्रय पत्र क्रमांक MP418412019A156700 मालियती 8,45,000/– रूपये में विक्रय पत्र निष्पादन का दिया जिससे क्षुब्ध होकर न्यायालय में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक क्रमांक 01 का का कभी भी वादभूमियों में कब्जा दखल नहीं रहा है। अतः वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेद्याज्ञा का आदेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

04. प्रतिवादी क्रं. 02 ता 04 द्वारा उक्त आवेदन पत्र का लिखित जबाब प्रस्तुत कर वादीगण/आवेदकगण का आवेदन का विरोध किया है एवं

वादीगण/आवेदकगण के आवेदन में उल्लेखित सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुये यह व्यक्त किया है कि वादीगण आवेदित भूमियों पर कभी काबिज काश्त नहीं रहे और न ही उनका कोई हक, स्वत्व है। अनावेदक क्रमांक 01 ने कभी भी वादीगण के चोरी छिपे उनकी गैरजानकारी में फर्जी तौर पर अपने नाम वारिसाना नामान्तरण दर्ज नहीं कराया और न ही पटवारी से मिलकर गंगी का एक मात्र वारिस बना, जबकि प्रतिवादी क्रं. 01 ही गंगी यादव के एक मात्र संतान हैं। गंगी यादव, लखपति यादव की व्याहता पत्नी नहीं है इसी कारण समस्त आवेदित भूमियों में गंगी यादव के मृत्यु के पश्चात केवल उसके वैश वारिस पुत्र उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रं. 01 के नाम आवेदित भूमियों का वारिसाना नामान्तरण किया गया। अनावेदक क्रमांक 02 ता 04 ने कभी किसी स्थगन आदेश की अवहेलना नहीं की है। बल्कि अपने हक, हिस्से की सीमा 1/6 भाग को 8,45,000/- रूपये प्रतिफल के एवज में प्रतिवादी क्रमांक 02 ता 04 के पक्ष में बिक्री कर दिया। आवेदकगण के स्वामित्व व कब्जे में कभी भी वादग्रस्त भूमि नहीं रही। इस कारण ऐसी आवेदित भूमि से वादीगण को बेदखल करने का कोई औचित्य नहीं है।

05. वादीगण ने अपने वादपत्र में अस्थायी निषेद्याज्ञा के आवेदन के समर्थन में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवेदित भूमियां कभी भी उनके स्वत्व व कब्जे में रही हो। गंगी यादव का विवाह ललवा यादव के साथ सम्पन्न हुआ था ललवा एवं गंगी के संसर्ग से प्रतिवादी क्रं. 01 का जन्म हुआ। प्रतिवादी क्रं. 01 के जन्म के

04–05 वर्ष बाद ही प्रतिवादी क्रं. 01 के पिता ललवा यादव की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी क्रं. 01 की मां गंगी यादव ने अपने पिता व पति का घर छोड़कर लखपति यादव के साथ रखैल के रूप में रहने लगी, तब उनके संसर्ग से आवेदक क्रमांक 02 ता 08 का जन्म हुआ। गंगी यादव ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात् लखपति यादव के साथ रखैल के रूप में रहने लगी तथा अपने पति व अपने पिता के स्वामित्व की सम्पत्तियों से अपना संबंध समाप्त कर दिया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी क्रं. 01 ने वादीगण के आवेदन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर इस आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिंदु उत्पन्न होते हैं :0–

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में हैं ?
2. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने की दषा में वादी को अपूर्णीय क्षति होगी ?
3. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में हैं ?

:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::

<u>विचारणीय बिंदु क्रमांक–01</u>

07. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि क्या वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं। माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांत के द्वारा ''प्रथम दृष्टया मामलें'' को परिभाषित करते हुये यह प्रतिपादित किया है कि प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ यह नही है कि उस मामले को पूर्णतयाः साबित कर दिया गया है, पंरतु जिस मामले को स्थापित हुआ कहा जा सके, यदि उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला यदि उसे ध्वस्त नहीं किया सके, तो वादी को डिक्री मिल जायेगी एक प्राथमिक मामला होगा।

08. उपरोक्त उल्लेखित सिद्धांतो को दृष्टिगत रखते हुये वादपत्र एवं जबाव दावे तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उपरांत यह दर्शित होता है कि वादीगण द्वारा यह वाद भूमि खसरा क्रमांक 1150/1 एवं 1153/1 के स्थित ग्राम पनवार चौहान टोला तहसील गोपदबनास जिला सीधी के संबंध में प्रस्तुत किया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादीगण के द्वारा उक्त भूमि के 1/6 हिस्से को उनकी माता गंगी देवी स्वामित्व होना व्यक्त किया है। वादीगण के द्वारा मूल रूप से यह विवाद होना व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उनकी माता की गंगी देबी की मृत्यु के पश्चात गंगी देबी के हिस्से की उक्त 1/6 भूमि को बिना वादीगण की जानकारी के वारिसाना नामांतरण में अपने नाम पर दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि पर वादीगण का भी हक एवं हित है।

09. यह उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए यह स्वीकार किया है

कि उक्त भूमि स्व0 गंगी देवी एवं स्व0 गंगी देबी के सोतेले भाईयों के सहस्वामित्व की भूमि है, परंतु वादीगण का उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार से हक एवं हित नहीं है क्योंकि वादीगण स्व0 गंगी देबी के वैध उत्तराधिकारी नहीं है तथा वह गंगी देबी के मूल पति की मृत्यु के बाद गंगी देबी एवं लखपति यादव के पुत्र एवं पुत्री है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा यह अभिवचन किए गए है कि वादीगण स्व0 गंगी देबी के अवैधानिक पुत्र एवं पुत्री है इस कारण उनका वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार से हक व हित नहीं है।

10. इस संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा किए गए अभिवचनों से यह दर्शित होता है कि गंगी देबी की शादी सर्वप्रथम प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता ललवा यादव के साथ हुई थी तथा ललवा यादव की मृत्यु के पश्चात गंगी देबी को समाज की प्रथा अनुसार लखपति यादव ने अपने साथ रख लिया था एवं वादीगण का जन्म लखपति यादव से हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी व्यक्ति की वास्तविक रूप में हिन्दू विधि अनुसार शादी किसी व्यक्ति से नहीं होती है तो उक्त व्यक्ति से जन्मे पुत्र एवं पुत्री अवैधानिक बच्चों की श्रेणी में आते है। धारा 16(3) भारतीय विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अवैधानिक बच्चों को अपने माता–पिता की स्व–अर्जित एवं पैतृक संपत्ति में अधिकार होने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार यदि यह तर्क मान भी लिया जाए कि वादीगण गंगी देबी के अवैधानिक बच्चे है तब भी उनका हक एवं हित स्व0 गंगी देबी की स्व–अर्जित संपत्ति मे होना नियत है।

11. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण में वादग्रस्त संपत्ति स्व0 गंगी देबी की पैतृक संपत्ति है जो उसे अपने पिता से प्राप्त हुई थी, जिस पर धारा 16(3) भारतीय विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वादीगण का भी हक एवं अधिकार होना प्रथमदृष्टया दर्शित होता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना पाया जाता है।

विचारणीय बिंदु क्रमांक–02

12. जहां तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है तो प्रस्तुत प्रकरण वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया पाया गया है। कोई भी क्षति अपूर्णीय तब कही जाती है, जब धन के माध्यम से उसका पर्याप्त प्रतिकर न दिलाया जा सकता हो अथवा जहां नुकसान मापने का कोई निश्चित मानक न हो इस संदर्भ में न्याय दृष्टांत **कुलदीप सिंह विरूद्ध सुभाषचंद्र जैन, ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1410** अवलोकनीय है। हस्तगत प्रकरण में यदि वादीगण के हक एवं हित की वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण के द्वारा अपने नाम दर्ज होने के आधर पर अन्य व्यक्ति को विक्रय किया जाता है तो निश्चित रूप से भूमि पर वादीगण के अधिकार पर प्रभाव पडेगा एवं अपूर्णीय क्षति होना स्वाभाविक है। फलतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वादीगण यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि यदि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो वादी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

विचारणीय बिंदु क्रमांक–03

13. जहां तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है, यह देखना आवश्यक है कि निषेधाज्ञा जारी किये जाने से विपक्ष को होने वाली असुविधा निषेधाज्ञा न जारी किये जाने पर आवेदक को होने वाली असुविधा की तुलना में अधिक है या नहीं। इस संदर्भ में न्याय दृष्टांत **दलपत कुमार विरूद्ध प्रहलाद सिंह ए.आई.आर 1993, एस.सी.276** अवलोकनीय है। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि वादीगण का प्रथमदृष्टया अधिकार होना पाया गया है। अतः यदि अस्थाई व्यादेश जारी किया जाता है तो वादीगण उस पर अधिकार बनाये रखेंगे एवं प्रतिवादीगण को तुलनात्मक असुविधा होना भी संभावित नहीं है। इसके अतिरक्त यदि अन्य किसी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि विक्रय की जाती है तो वाद की बहुल्यता बढेगी जिससे वादीगण को होने वाली असुविधा तुलनात्मक रूप से अधिक है। अतः सुविधा का संतुलन भी अस्थाई निषेधाज्ञा एवं व्यादेश दिये जाने के पक्ष में होना पाया जाता है।

अंतिम आदेश

14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपने पक्ष में तीनों विचारणीय प्रश्न प्रथम दृष्टया वाद सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश–39 नियम–1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 25.09.2019 **स्वीकार** किया जाता है परंतु क्योंकि उपरोक्त विवेचना के अनुसार वादीगण का आधिपत्य भूमि पर होना प्रथमदृष्टया स्पष्ट नहीं है। इस कारण केवल

वादग्रस्त भूमि के विक्रय से निषेधित किया जाना उचित है। अतः निम्नानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैः—

(क). प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम पनवार चौहान टोला तहसील गोपदबनास जिला सीधी खसरा क्रमांक 1150/1 रकवा 0.700 हे0 के 1/6 भाग एवं भूमि क्रमांक 1153/1 रकवा 1.166 हे0 के 1/6 भाग को अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेंगें और न ही अन्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करावेगें।

15. उक्त आदेष का प्रभाव प्रकरण के गुण—दोष पर नहीं पड़ेगा।

आदेष पृथक से टंकित कर विधिवत् गया।
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

Digitally signed by
ANIRUDDHA KUMAR
Date: 2024.10.01
11:51:42 +0530

(अनिरूद्ध कुमार उचाड़िया)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
खण्ड सीधी, जिला—सीधी

(अनिरूद्ध कुमार उचाड़िया)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ
सीधी, जिला—सीधी